संख्या 2120 / उन्तीस / 04–2(22पे0) / 2004

प्रेषक,

डा0एस0एस0सन्धू
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।
2–मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।
3–निदेशक
पी0एम0यू0स्वजल परियोजना,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग

देहरादून दिनांक : 18 अगस्त, 2004

विषय– उत्तरांचल राज्य मे पेयजल एवं स्वच्छता सैक्टर में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र सुधार की नीतियों को अपनाया जाना।

उत्तरांचल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों मे निर्मित की जाने वाली पेयजल योजनाओं के लिये राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए इन योजनाओं के लिये वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था राज्य के संसाधनों से किया जाना कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त पेयजल सैक्टर मे निर्मित आस्तियों के दीर्घकालीन स्थायित्व के लिये जन समुदाय की प्रत्येक स्तर पर सक्रिय भागीदारी व सहयोगिता की भावना अपनाया जाना आवश्यक है, जैसा कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पेयजल सैक्टर के अधिकार एवं दायित्व त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को दिया जाना प्रस्तावित है।

2– भविष्य में जो भी धनराशि पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त होगी, वह निश्चित रूप से क्षेत्र सुधार (सैक्टर रिफार्म) अपनाये जाने पर निर्भर रहेगा, जैसा कि मा0प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित स्वजलधारा योजना के सम्बन्ध मे प्राप्त मार्ग निर्देशों से स्पष्ट है।

क्रमश 2

3– भारत सरकार द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता सैक्टर मे किये जाने वाले कार्यो हेतु विभिन्न नीतिगत बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों तथा प्रस्तावित समयावधि के अनुसार कार्यवाही करने पर भारत सरकार द्वारा समय से धनराशि अवमुक्त किये जाने के साथ ही वित्तीय एवं अन्य प्रोत्साहन दिये जाने का प्राविधान है, जबकि उक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा मे 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती, धनराशि अवमुक्त होने पर रोक तथा स्वजलधारा के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 25 प्रतिशत धनराशि की कटौती जो 11वीं योजना के प्रारम्भ तक समाप्त कर दिये जाने का प्राविधान है ।

4– इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों और राज्य की आवश्यकताओं के प्रकाश में पेयजल व स्वच्छता सैक्टर में भावी रणनीति हेतु क्षेत्र सुधार (सैक्टर रिफोर्म) को अपनाये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार पेयजल सैक्टर मे निम्नानुसार नीतिगत व्यवस्थायें की जायेंगी :–

1. <u>ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सैक्टर हेतु परिदृश्य (VISION-2012)</u>

ग्रामीण स्थानीय सरकार, समुदाय के साथ मिलकर अपनी पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं का नियोजन,निर्माण,संचालन एवं रखरखाव करेगी, जिससे उनको स्वच्छ जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का स्थाई लाभ मिल सके । राज्य सरकार एवं उसकी सैक्टर संस्थायें इसमे सहयोगी, सुगमकर्ता एवं सह वित्त पोषक के रूप मे कार्य करेगी और यथा आवश्यकता तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वृहद निर्माण तथा आकस्मिकता के दायित्वों का निर्वहन करेंगी ।

2. <u>क्षेत्र सुधार (सैक्टर रिफार्म) के मौलिक सिद्धान्तों का अनुपालन–</u>

प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्र सुधार (सैक्टर रिफार्म) के निम्नलिखित मौलिक सिद्धान्तों को अपनाया जाता है :–

(i) ग्रामीणों की क्षमता पर आधारित समुदाय भागीदारी के साथ मॉग जनित अनुकूल नीति को अपनाना, जिससे पेयजल योजना के चयन, नियोजन ,डिजाईन, कार्यान्वयन, वित्त पर नियंत्रण तथा प्रबन्ध व्यवस्था के निर्णय के जरिए परियोजना में उनकी पूर्ण भागीदारी एवं उसका रखरखाव सुनिश्चित हो सके ।

(ii) पंचायतों को पेयजल योजनाओं की परिसम्पत्तियों का स्वामित्व प्रदान किया जाना।

(iii) पंचायतों / समुदायों को सभी जलापूर्ति तथा स्वच्छता योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, संचालन, रखरखाव तथा प्रबन्ध की शक्तियॉ प्रतिनिधानित करना ।

क्रमशः 3

(iv) प्रयोक्ताओं द्वारा आंशिक पूंजी लागत को या तो नगद या किसी अन्य रूप में, जिसमें मजदूरी भी शामिल है, या दोनों प्रकार से वहन करना तथा संचालन एवं रखरखाव की शतप्रतिशत जिम्मेदारी लेना।

(v) पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं को एकीकृत रूप से चलाना।

(vi) नियमित तथा सामाजिक रूप से निरीक्षण कर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना तथा पेयजल गुणवत्ता का अनुश्रवण करना ।

(vii) 11वीं योजना के अन्त (वर्ष 2012) तक ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता पूर्ति हेतु वचनबद्धता देना ।

(viii)स्थायी पेयजल आपूर्ति के लिए वर्षा जल के एकीकरण तथा भू–जल रिचार्ज प्रणाली के जरिये संरक्षण उपाय शुरू करना।

(ix) राज्य सरकार की भूमिका को प्रत्यक्ष सेवा सुपुर्दगी से आयोजना, नीति निर्धारण, निगरानी एवं मूल्यॉकन तथा सुगमकर्ता के रूप में बदलना।

(x) स्वच्छता क्षेत्र में कम अनुदान से अनुदान रहित व्यवस्था स्थापित करना।

(xi) राज्य के समस्त स्कूल तथा आंगनबाड़ियों के भवन परिसरों में पेयजल एवं स्वच्छता की व्यवस्था वर्ष –2007 तक करना।

(xii) जल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित बिमारियों को कम करना ।

3. क्षेत्र सुधार (सैक्टर रिफार्म) की नीतियों को लागू किए जाने के सम्बंध में भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया जाना

क्षेत्र सुधार (सैक्टर रिफार्म) की नीतियों को लागू किये जाने के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को समझौते ज्ञापन (MOU)का प्रारूप उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकार के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बंध में दिये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार मुख्य रूप से निम्न शर्तों को पूर्ण करने की वचनबद्धता दिये जाने का निर्णय लिया गया है–

(क) स्वजल धारा एवं सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के सिद्धान्तों हेतु वचनबद्धता।

(ख)पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में राज्य का परिदृश्य ब्योरा (State VisionStatement) ।

(ग) पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र हेतु राज्य परिदृश्य (State Vision) के अनुसार राज्य की पेयजल नीति बनाना।

(घ) राज्य परिदृश्य (State Vision) के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य की वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।

क्रमश–4–

(ड) पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र हेतु संस्थागत व्यवस्थाऐ बनाना ।

4– <u>पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र हेतु राज्य की नीति निर्धारण</u>

भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य की पेयजल एव स्वच्छता क्षेत्र की नीति में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया जाता है :–

(i) पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु नियोजन, संरचना, कियान्वयन, संचालन, रखरखाव तथा प्रबन्धन के उत्तरदायित्व हेतु पचायती राज संस्थाओं का सहयोग करना एवं उन्हें सुदृढ बनाना। पेयजल सेक्टर में राज्य सरकार की भूमिका तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वृहद निर्माण तथा आकस्मिकता दायित्वों का निर्वहन करना।

(ii)भूमिगत जल दोहन नियन्त्रण, व्यवस्था तथा सम्बर्द्धन(Regulation & Recharge) हेतु कानून बनाना एवं उसको कियान्वित करना।

(iii) एकल ग्रामीण पेयजल योजनाए संचालन तथा रखरखाव हेतु ग्राम पंचायतों/ ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तान्तरित करना एवं उनमें आस्तियों का स्वामित्व निहित करना ताकि गॉवों को स्वतःस्फूर्त स्वच्छता एवं स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित हो सके ।

(iV)राज्य, जिला, ब्लाक, ग्राम पंचायत तथा सामुदायिक स्तर की संस्थाओं का संस्थागत सबलीकरण तथा क्षमता विकास करना।

(V) जल संरक्षण तथा वर्षा जल संग्रहण (Rain Water Harvesting) को पेयजल आपूर्ति योजनाओं के साथ समेकित करना।

(vi)राज्य, जिला, ब्लाक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रमों को एकीकृत करना।

(vii)ग्राम पंचायतों/ ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समितियो को जलकर निर्धारण तथा उपभोक्ताओं से जलकर वसूली हेतु अधिकृत करना और ऐसे गॉवों में जल संस्थान से इन अधिकारों को हटाया जाना।

(viii) लागत भागीदारी (Cost sharing) सिद्धान्त को भागीदारों (Stakeholders) के बीच में स्थापित करना।

(ix) बहुल ग्रामीण, बहुल विकास खण्डीय तथा बहुल जनपदीय योजनाओं में पेयजल गुणवत्ता, योजना तथा श्रोत के स्थायित्व से सम्बन्धित राज्य सरकार के दायित्वों की रूपरेखा तैयार करना तथा ग्राम पंचायतों/ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना व राज्य सरकार द्वारा तकनीकी ,

क्रमशः 5

प्रशासनिक एवं वित्तीय सहयोग जो रखरखाव हेतु अनुदान के रूप में न हो, उन्हें उपलब्ध कराना।

(x) स्वजल धारा एवं सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन प्रक्रिया को विकसित करना ।

(xi) स्वजलधारा तथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सभी भागीदार (Stakeholders) स्त्री, पुरूष एवं निर्बल वर्ग का बराबरी का योगदान सुनिश्चित करना व उत्तरदायित्व निर्धारित करना।

(xii) सैक्टर रिफार्म के सिद्धान्त सम्पूर्ण ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सैक्टर में लागू किया जाना, चाहे वित्तीय संसाधनों का स्रोत कोई भी हो।

(xiii) पेयजल, जल श्रोत संरक्षण एंव सम्वर्द्धन, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संचेतना को एकीकृत रूप से लागू करना। पेयजल की मॉग न होने पर भी अन्य पर्यावरणीय स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संचेतना कार्यो को सम्पादित कराया जाना।

(xiv) ग्रामीण क्षेत्रों में एकल पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवम् मरम्मत आदि कार्यो पर होने वाले व्यय का वहन सम्बन्धित ग्राम पंचायत को करना होगा। बहुल ग्राम योजनाओं को अपवाद स्वरूप रखते हुए अन्य समस्त ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु पूंजी लागत में 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रति दिन (lpcd) सेवा स्तर के सापेक्ष ग्रामीणों का पूंजी लागत अंशदान 10 प्रतिशत तथा 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रति दिन (lpcd) से उच्चतम सेवा स्तर में वृद्धि लागत (Incremental Cost) 10 प्रतिशत लाभार्थी तथा शेष सरकार द्वारा वहन किया जाना।

(xv) उत्तरांचल (उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम–1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अन्तर्गत जल संस्थान के साथ–साथ ग्राम पंचायत को जल शुल्क व जल मूल्य की दरों के निर्धारण का अधिकार एवं जल उपभोक्ता स्वच्छता समिति (UWSC) को निर्धारित जल शुल्क व जल मूल्य नियमित रूप से उपभोक्ताओं से एकत्र करने एवं दोषियों पर अतिरिक्त प्रभार लगाने का अधिकार प्रतिनिधानित करना।

(xvi) ग्राम पंचायत तथा जल उपभोक्ता स्वच्छता कमेटी (uwsc) को निर्माण दायित्व देते हुए निवेश धनराशि (investment funds) को उन्हें सीधे स्थानान्तरित करना। राज्य सरकार का दायित्व तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वृहद निर्माण, आकस्मिकता, पेयजल गुणवत्ता जॉच आदि का निर्वहन करना होगा।

(xvii) सामुदायिक अधिप्राप्ति (Community Procurement) की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय नियम पुस्तिका (manual) के अनुसार किया जाना।

क्रमश 6

(xviii) उपरोक्त समस्त निर्णय लागू किये जाने पर उत्तरांचल पेयजल निगम एवं उत्तरांचल जलसंस्थान की भूमिकाओं में भी अनुकूल परिवर्तन किया जायेगा, जिससे राज्य के कोष पर दीर्घकालीन उत्तरदायित्व (liability) न हो ।

(xix) साथ ही सेवाओं को वाह्य स्रोतों (out sourcing) से वहन करना एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को सामुदायिक विकास, प्रशिक्षण आदि कार्यों हेतु प्रयोग करना ।

उपरोक्त व्यवस्थायें समयबद्व रूप से की जानी आवश्यक हैं । इस कम में राज्य परिदृश्य (StateVision) के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र मे नीति का अनुमोदन 30 सितम्बर,2004 तक किये जाने एवं नीति का कियान्वयन 30 जून 2006 तक किया जाना है। साथ ही भूगर्भ जल दोहन,नियंत्रण, विनियमितीकरण एवं संवर्धन हेतु (Ground Water Extraction Control, Regulation and Recharge) कानून तैयार करने की समयवाधि 31 दिसम्बर,2005 एवं कियान्वयन हेतु 31 दिसम्बर 2006 की समयावधि प्रस्तावित है। राज्य परिदृश्य (StateVision) के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य की वार्षिक कार्ययोजना 31 अक्टूबर 2004 तक एवं पेयजल तथा स्वच्छता क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार ग्राम पंचायत को वित्त पोषण की प्रकिया प्रारम्भ करने व कोषों की स्थापना किये जाने के लिये 30 जून 2005 से 30 सितम्बर 2006 तक की समय सीमा तथा इसी कम में वित्तीय आवश्यकता हेतु स्थिति पत्रक (Status Paper) 30 जून 2005 तक तैयार किया जाना प्रस्तावित है ।

5– संस्थागत व्यवस्थायें – संस्थागत व्यवस्थाओं के अंर्तगत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थायें की जानी हैं :–

(1)पंचायतीराज संस्थाओं को पेयजल तथा स्वच्छता के नियोजन, डिजाइन,निर्माण, संचालन, रखरखाव तथा अनुश्रवण हेतु प्रभावी कदम उठाने एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभागों से समन्वय स्थापित करना ।

(2)पंचायतीराज संस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से पर्याप्त कोष,कार्यों/ कर्तव्यों/ दायित्वों को (Funds, Functions & Functionaries) स्थानान्तरित करना ।

(3)पंचायतीराज संस्थाओं मे स्थानान्तरित सभी सरकारी स्टाफ के वेतन एवं भत्तों हेतु पर्याप्त धनराशि पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराना ।

(4)पंचायतीराज संस्थाओं में प्रशासनिक कियान्वयन की व्यवस्था करना, इसमें मुख्य रूप से सभी स्थानान्तरित सरकारी सेवक,पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रण मे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अधिकार प्रदान करना।

क्रमश..7..

(5)स्वजलधारा / सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान / ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र मे अन्य कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु स्थानीय आंकलन के अनुसार उपयुक्त संस्थागत ढाँचे की व्यवस्था करना एवं आवश्यकतानुसार स्वयसेवी संस्थाओं (NGO) तथा सामुदायिक आधारित संस्थाओं (Community Based Organisations) का सहयोग लेना ।

उपरोक्त सभी कार्यो को क्रियान्वित करने हेतु 30 जून 2006 से 30 जून 2008 तक की समयावधि निर्धारित की गयी है ।

6- नोडल विभाग / नोडल एजेन्सी का दायित्व निर्धारण :–उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यो को मूर्त रूप देने हेतु नोडल विभाग की स्थापना तथा उनके उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना है । इस परिप्रेक्ष्य मे नोडल विभाग सुगमकर्ता के रूप में पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियो को तकनीकी,प्रशासनिक एवं वित्तीय सलाह देगा, साथ ही ग्रामपंचायतों को जल गुणवत्ता हेतु शोध,जलसंरक्षण तथा स्रोत स्थायित्व हेतु निःशुल्क परामर्श उपलब्ध करायेगा । राज्य सरकार द्वारा राज्य तथा जिला स्तर पर संचार एवं क्षमता विकास इकाई (Comunication & Capacity Development Unit) का गठन किया जायेगा जिस हेतु भारत सरकार द्वारा अपेक्षित तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय सहयोग प्रदान किया जायेगा । इस कार्य को दिसम्बर 2005 से 30 जून 2008 तक की समयावधि मे पूर्ण किया जाना निर्धारित है ।

7- उपरोक्त निर्णयों के अतिरिक्त निम्नलिखित नीतिगत निर्णय भी लिये गये :–

(क) स्वच्छता क्षेत्र मे न्यूनतम अनुदान से शून्य अनुदान (Low subsidy to no subsidy)के सिद्धान्त को लागू करना ।

(ख) वर्ष 2006–07 तक राज्य के सभी जनपदों को सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत लेना ।

(ग) वर्ष 2009–10 तक ग्रामीण क्षेत्रों को सम्पूर्ण स्वच्छता से आच्छादित करना।

(घ) वर्ष 2007 तक समस्त सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाडियों के भवनो के परिसर मे पेयजल तथा स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना ।

(ड) राज्य सरकार द्वारा बहुल ग्रामीण /बहुल विकास खण्डीय पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव करना ।

8- उत्तरांचल राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता प्राथमिकता वाले क्षेत्र (Thrust Areas Sector) हैं। भारत सरकार एवं वाह्य सहायतित कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं राज्य के हित मे भारत

क्रमशः 8

सरकार द्वारा प्रेषित समझौता ज्ञापन (MOU) के दिशा निर्देशों को राज्य की सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक शक्तिशाली बनाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रेषित समझौता ज्ञापन पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये जाने है ।

9 इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय अनुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षरित किये जाने वाले सहमति पत्रक / समझौता ज्ञापन (MOU) पर राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन द्वारा सचिव,जलापूर्ति भारत सरकार से विस्तार से विचार–विमर्श के उपरान्त समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया जायेगा । विस्तार से विचार–विमर्श के उपरान्त मुख्य सचिव समझौता ज्ञापन मे लघु परिवर्तन / संशोधन (Minor Changes) करने हेतु अधिकृत होंगे। समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करने से पूर्व इस बात का भी ध्यान रखा जाना होगा कि योजना मे संशोधन होने पर राज्य अलाभकारी स्थिति में न आये ।

10 भारत सरकार से विस्तृत विचार–विमर्श एवं लघु संशोधनों के उपरान्त अन्तिम समझौता ज्ञापन (MOU) मे वर्णित बिन्दुओं के सापेक्ष तय समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश निर्गत किए जायेंगे।

भवदीय,

(डा0एस0एस0सन्धू)
सचिव

संख्या 2120 / उन्तीस / 04–2(22पे0) / 2004तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल शासन।
2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के सज्ञानार्थ
3- स्टाफ ऑफिसर अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के सज्ञानार्थ।
4- आयुक्त गढ़वाल / कुमाँयू, पौड़ी / नैनीताल।
5- समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्य मत्री / मा0 पेयजल मत्री।
7- निदेशक,एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव